EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB SEC. (i)

Appearing on Page No. : 1970—1979

Dated : 21-9-2002

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 376.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा-शुल्क समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1979 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग में सिपाही हवलदार और प्रधान हवलदार के समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग सिपाही, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना — ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. विशेष उपबंध —

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा विहित के सिवाय प्रत्येक कमीशनरेट का अपना पृथक काडर होगा।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड —

(क) यदि उसके विचार में लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए तथा उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए, आदेश दे सकेगा कि कमीशनरेट/विभाग में कोई भी पद ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा भरा जाएगा जो वैसा ही या तुलनीय पद धारण किए हुए हैं किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अधीन किसी अन्य कमीशनरेट/विभाग या कार्यालय के काडर से हैं।

(ख) यदि उसके विचार में अनुकंपा के आधार पर यह आवश्यक या समीचीन है तो वह यह आदेश दे सकेगा कि विभाग का कोई पद जो इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, ऐसे व्यक्ति के स्थानांतरण या प्रति-नियुक्ति द्वारा भरा जाए जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के किसी अन्य विभाग/कार्यालय में वैसा ही या तुलनीय या उच्चतर पद धारण किए हुए हैं, जो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए होगा।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सिपाही	6913*(2002) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित अननुसचिवीय	2610-60-2910-65-3300 70-4000 रु.

चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18—27 वर्ष

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण टिप्पण : अभ्यर्थियों से नीचे विनिर्दिष्ट शारीरिक मानक रखने और शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी अर्थात् :— पुरुष अभ्यर्थियों के लिए : शारीरिक मानक (न्यूनतम) : कद – 157.5 सें. मी. (गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की दशा में 5 सें. मी. शिथिलनीय)	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

8
छाती – 81 सें. मी. (5 सें. मी. न्यूनतम फुलाव के साथ) शारीरिक परीक्षण: चलना – 15 मिनट में 1600 मीटर साइकलिंग – 30 मिनट में 8 कि. मी. महिला अभ्यर्थियों के लिए :— शारीरिक मानक (न्यूनतम) कद – 152 सें. मी. भार – 48 कि. ग्रा. (गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की दशा में कद 2.5 सें.मी. और भार में 2 कि.ग्रा. शिथिलनीय) शारीरिक परीक्षण : चलना – 20 मिनट में 1 किलोमीटर साइकलिंग – 25 मिनट में 3 कि. मी. (उपर्युक्त शारीरिक मानक/परीक्षण प्रोन्नति, द्वारा भरे जाने वाले पदों, यदि कोई हों, को भी लागू होंगे।)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 15 प्रतिशत आमेलन द्वारा	आमेलन : फर्राश/चौकीदार/सफाईवाला; माली और समूह 'घ' कर्मचारियों में से, परन्तु यह तब जब कि ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों द्वारा धारित पदों के वेतनमान वही हों जो फर्राश/ चौकीदार, सफाईवाला या माली के हैं और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात्— (i) उन्होंने न्यूनतम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; (ii) कम से कम प्रारंभिक साक्षरता रखते हों और हिन्दी या अंग्रेजी कोई प्रादेशिक भाषा पढ़ने की योग्यता के परीक्षण द्वारा उसका सबूत दे सकें; और (iii) 45 वर्ष की आयु से कम हों और स्तंभ 8 में अधिकथित शारीरिक मानक रखते हों और शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करें।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति सहायक आयुक्त —अध्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दो अधीक्षक —सदस्य आयकर अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

13
टिप्पण—जहां कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का न हों वहां किसी बाहरी विभाग का ऐसा अधिकारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. हवलदार	4200* (2002) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित अननुसचिवीय	2750-70-3800-75-4400 रु०

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	सिपाही की श्रेणी से ऐसे व्यक्ति की प्रोन्नति द्वारा जो उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों

(13)	(14)
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति सहायक आयुक्त —अध्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दो अधीक्षक —सदस्य आयकर अधिकारी —सदस्य टिप्पण —जहां कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का न हो वहां किसी बाहरी विभाग का ऐसा अधिकारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. प्रधान हवलदार	2155* (2002) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	हवलदार की श्रेणी से ऐसे व्यक्ति की प्रोन्नति द्वारा जो उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों।

(13)	(14)
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति सहायक आयुक्त —अध्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दो अधीक्षक —सदस्य आयकर अधिकारी —सदस्य टिप्पणी:—जहां कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का न हो वहां किसी बाहरी विभाग का ऐसा अधिकारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/3/2002-एडी III (बी.)]

वाई. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2002

G.S.R. 376.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Group "D" post Recruitment Rules, 1979, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts of Sepoy, Havaldar and Head Havaldar in the Central Excise and Customs Department, namely :

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Sepoys, Havaldar and Head Havaldar (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Special provision.—(1) Each Commissionerate shall have its own separate cadre unless otherwise prescribed by the Central Board of Excise and Customs.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Central Board of Excise and Customs may :

(a) if it considers to be necessary or expedient in the public interest so to do and subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, order any post in the Commissionerate/Department to be filled by transfer of persons holding the same or comparable posts but belonging to the cadre of another Commissionerate/Department or office under Central Board of Excise and Customs.

(b) if it considers it necessary or expedient on compassionate grounds, order that a post in the Department which is to be filled by direct recruitment under these rules, should be filled by transfer or deputation of a person holding the same or comparable or higher post from any other Department/Office of the Central Board of Excise and Customs, subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case.

5. Method of recruitment, age-limits, other qualification etc.—The method of recruitment, age-limits, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

6. Disqualification.—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sepoy	6913* (2002) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000.

Whether Selection or Non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	18—27 years

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Middle Standard pass from recognised school. Note : Candidates will be required to possess the Physical standards and pass physical test as specified below, namely : For Male Candidates : Physical Standard (minimum) : Height — 157.5 cms. (relaxable by 5 cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes). Chest — 81 cms. (fully expanded with minimum expansion of 5 cms.). Physical Test : Walking — 1600 metres in 15 minutes. Cycling — 8 kms. in 30 minutes. For Female Candidates : Physical Standard (minimum) : Height — 152 cms. Weight— 48 kgs. (Height relaxable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. for Garhwalis, Assamese, Gorkhas and membeıs of the Scheduled Tribes). Physical Test : Walking— 1 km. in 20 minutes. Cycling— 3 kms. in 25 minutes. (The above physical standards/tests shall also be applicable for filling up the posts by promotion, if any).	Not applicable	2 years for direct recruits

Method of recruitment ; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
85 per cent by direct recruitment. 15 per cent by absorption.	Absorption ; From the cadre of Farash, Chowkidar, Safaiwala, Malis and other Group 'D' employees, provided the pay scale of the posts held by such Group 'D' employees is the same as that of Farashes, Chowkidars, Safaiwalas or Malis, subject to the following conditions, namely :— (i) they shall have put in at least five years regular service; (ii) they should possess at least elementary literacy and give proof through a test of ability to read either Hindi or English or a Regional languages; and (iii) they are below Fortyfive years of age and possess such physical standards and pass such physical tests as laid in Column 8.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee : Asstt. Commissioner —Chairman Two Superintendents Central Excise —Members Income Tax Officer —Member Note : Where none of the officer belongs to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Havaldar	4200* (2002) *(Subject to variation dependent on work-load).	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2750–70–3800–75–4400.

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years

(11)	(12)
100 per cent by promotion	By promotion from the grade of Sepoy with 3 years regular service in the grade.

(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee : Assistant Commissioner —Chairman Two Superintendents Central Excise —Members Income Tax Officer —Member Note : Where none of the officer belongs to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Head Havaldar	2155* (2002) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050–75–3950–80–4590.

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years

(11)	(12)
100 per cent by promotion	By promotion from the grade of Havaldar with 3 years regular service in the grade.

(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee : Assistant Commissioner —Chairman Two Superintendents Central Excise —Members Income Tax Officer —Member Note : Where none of the officer belongs to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

[F. No. A.-12018/3/2002–Ad. III B]

Y. P. VASHISHAT, Under Secy.

MGIPRRND—2859 Fin./2002—Sec. 1—30-9-2002—200.